

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-139/अ0मु0स0का0/2020
लखनऊ: दिनांक: 24 मार्च, 2020

कार्यालय-आदेश

विषय: कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए अपनाये जाने वाले निवारक उपाय।

शासन के संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश के कतिपय राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों द्वारा छात्रावासों को खाली कराया जा रहा है।


अतः समस्त राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों को यह निर्देशित किया जाता है कि यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम न भी संचालित हो रहे हों, तो भी अग्रिम आदेशों तक उक्त संस्थानों/केन्द्रों के छात्रावास खाली न कराये जायें तथा अपने वर्तमान छात्रावास में ही रहने का परामर्श दिया जाए।

कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।



(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

- प्रतिलिपि:- 1. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

आज्ञा से,


(मुकुल सिंहल)
अपर मुख्य सचिव।

निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर

पृ०सं०: कैम्प-2403-01 /सरकुलर/2019-20 कानपुर |

दिनांक: 24-03-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊ०प्र० शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, विधान भवन, लखनऊ |
2. विशेष सचिव, ऊ०प्र० शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2, विधान भवन, लखनऊ |
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर |
4. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश |
5. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, ऊ०प्र० लखनऊ |
6. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, ऊ०प्र० लखनऊ |
7. समस्त प्रधानाचार्य राजकीय/ अनुदानित पॉलिटैक्रिक संस्थायें, ऊ०प्र० |
8. समस्त प्रधानाचार्य निजी पॉलिटैक्रिक संस्थायें, ऊ०प्र० | (द्वारा सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, ऊ०प्र० लखनऊ)



(मनोज कुमार)

निदेशक